



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

1484/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2022

क्र.

दिनांक ...30/08/22...

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मदंसौर विश्वविद्यालय
मदंसौर (म.प्र.)

विषय-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अधधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.08.2022 में की गयी अनुशंसाएं में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं आयोग की सभा बैठक दिनांक 18.08.2022 में प्राप्त अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

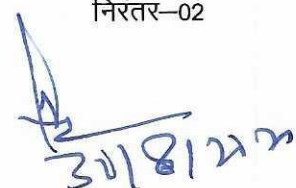
S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total
1	Faculty of Business Management	BBA	40,000.00	34000.000	6000.000	40,000.00
2	Faculty of Business Management	MBA	75,000.00	63750.000	11250.000	75,000.00
3	Faculty of Business Management	Ph.D	65,000.00	55250.000	9750.000	65,000.00
4	Faculty of Arts	BA (Journalism & Mass Communication)	50,000.00	42500.000	7500.000	50,000.00
5	Faculty of Arts	BA (Fashion Design)	60,000.00	51000.000	9000.000	60,000.00
6	Faculty of Arts	BA (Tourisms and Hospitality)	53,000.00	45050.000	7950.000	53,000.00
7	Faculty of Arts	MA (JMC)	50,000.00	60000.000	7500.000	50,000.00
8	Faculty of Arts	Ph.D (Tourisms and Hospitality)	65,000.00	110000.000	9750.000	65,000.00

निरंतर-02

// 02 //
शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

9	Faculty of Commerce	B. COM	35,000.00	29750.000	5250.000	35,000.00
10	Faculty of Engineering & Technology	Diploma (CIVIL.)	40,000.00	34000.000	6000.000	40,000.00
11	Faculty of Engineering & Technology	Diploma (ELEC.)	40,000.00	34000.000	6000.000	40,000.00
12	Faculty of Engineering & Technology	Diploma (MECH)	40,000.00	34000.000	6000.000	40,000.00
13	Faculty of Engineering & Technology	BE (CIVIL.)	70,000.00	59500.000	10500.000	70,000.00
14	Faculty of Engineering & Technology	BE (CSE)	70,000.00	59500.000	10500.000	70,000.00
15	Faculty of Engineering & Technology	BE (EEE)	70,000.00	59500.000	10500.000	70,000.00
16	Faculty of Engineering & Technology	BE (MECH)	70,000.00	59500.000	10500.000	70,000.00
17	Faculty of Engineering & Technology	M. Tech	80,000.00	68000.000	12000.000	80,000.00
18	Faculty of Engineering & Technology	Ph.D	85,000.00	72250.000	12750.000	85,000.00
19	Faculty of Education	B.Ed	45,000.00	38250.000	6750.000	45,000.00
20	Faculty of Education	B.P.Ed	45,000.00	38250.000	6750.000	45,000.00
21	Faculty of Education	MA Education	35,000.00	29750.000	5250.000	35,000.00
22	Faculty of Education	Ph.D	65,000.00	55250.000	9750.000	65,000.00
23	Faculty of Pharmacy	D PHARM	50,000.00	42500.000	7500.000	50,000.00
24	Faculty of Pharmacy	B PHARM (BRNCOP)	80,000.00	68000.000	12000.000	80,000.00
25	Faculty of Pharmacy	M.Pharm (Pharmaceutics)	75,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
26	Faculty of Pharmacy	Ph.D	85,000.00	72,250.00	12,750.00	85,000.00
27	Faculty of Agriculture	B.Sc Hons. (Agriculture)	60,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
28	Faculty of Agriculture	M. Sc (Agriculture & Agronomy)	55,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
29	Faculty of Life Science	B.Sc (Biotech. Hons)	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
30	Faculty of Life Science	B.Sc (Microbiol. Hons)	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
31	Faculty of Life Science	M.Sc (Microbio. Hons)	36,000.00	30,600.00	5,400.00	36,000.00
32	Faculty of Life Science	M.Sc (Biotech. Hons)	36,000.00	30,600.00	5,400.00	36,000.00
33	Faculty of Life Science	Ph.D	75,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00

निरंतर-02


30/8/22

// 03 //

**शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)**

34	Faculty of Computer Application	BCA	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
35	Faculty of Computer Application	BCA (Cloud Computing)	55,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
36	Faculty of Computer Application	BSC (CS)	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
37	Faculty of Computer Application	MCA	60,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
38	Faculty of Computer Application	Ph.D	75,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
39	Faculty of Library Science	B. Lib. Sc	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
40	Faculty of Library Science	M. Lib. Sc.	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
41	Faculty of Library Science	Ph.D	65,000.00	55,250.00	9,750.00	65,000.00
42	Faculty of Ayurveda	BAMS	2,50,000.00	2,12,500.00	37,500.00	2,50,000.00
43	Faculty of Ayurveda	Ph.D	85,000.00	72,250.00	12,750.00	85,000.00
44	Faculty of Nursing	B. Sc (Nursing)	70,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00

नोट— उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. **सत्र 2022-23** हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।

निरंतर-04

30/8

// 04 //

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।
(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2022
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल